

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी लम्भुआ सुलतानपुर।

पत्रांक 1783

/बृक्ष-नीलामी/2018-19

दिनांक-17/11/2018

नीलामी सूचना

विकास खण्ड परिसर में स्थित यूकीलिप्टस के पेड़ों की नीलामी की स्वीकृति जिला विकास अधिकारी महोदय सुलतानपुर के पत्रांक 2199/15/नाजिर दिनांक 16.09.2013 के द्वारा प्राप्त होने के बाद नीलामी की तिथि 14.10.2013 को रखी गयी थी। परन्तु कुछ कारण वस जिलाधिकारी महोदय सुलतानपुर के आदेशानुसार नीलामी प्रक्रिया रोक दिये जाने का निर्देश प्राप्त होने के बाद नीलामी नहीं की जा सकी। पुनः वन विभाग से पेड़ों का मूल्यांकन कराये जाने के बाद पेड़ों की नीलामी विकास खण्ड मुख्यालय पर दिनांक 06.11.2018 अपरान्ह 02.00 बजे निम्न शर्तों के अनुसार की जायेगी।

शर्तें-

1. न्यूनतम बोली अनुमानित वन विभाग की धनराशि से कम पर नहीं होगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले क्रेता को न्यूनतम 15000.00 रुपया नीलामी शुरू होने से पहले विकास खण्ड कार्यालय में नगद जमा करने के बाद ही नीलामी में भाग ले सकेंगे।
3. नीलामी के बाद पेड़ों को शासकीय भवनों एवं अन्य भवन एवं इमारत को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कटायी का कार्य किया जायेगा। यदि किसी प्रकार की क्षति पेड़ों के काटते समय होगी तो उसकी भरपाई क्रेता को करने के बाद ही पेड़ों का उठान करने दिया जायेगा।
4. नीलामी के बाद अन्तिम नीलामी की धनराशि को क्रेता के द्वारा नगद उसी दिन कार्यालय में जमा करना होगा।
5. नीलामी के एक सप्ताह के भीतर नीलाम पेड़ों को अनिवार्य रूप से कटवा कर विकास खण्ड परिसर को खाली कर देना होगा।
6. नीलामी की अधिकतम बोलने वाले को क्रेता के रूप में अधिकृत माना जायेगा।
7. नीलामी के समय जो टैक्स जैसे ट्रेड टैक्स, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी
लम्भुआ सुलतानपुर।

प्रतिलिपि-

1. पशु चिकित्साधिकारी लम्भुआ, प्रभागीय वनाधिकारी (रेन्जर) सामाजिक वानकीय लम्भुआ सुलतानपुर को जिला विकास अधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 2189/15-नाजिर/पेड़ नीलामी/2012-13 दिनांक 16 सितम्बर 2013 के द्वारा नीलामी प्रक्रिया हेतु गठित समिति के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख क्षेत्र पंचायत लम्भुआ की सेवा में सूचनार्थ।
3. विकास खण्ड नोटिस बोर्ड/तहसील नोटिस बोर्ड पर चस्पा।
4. स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रचार-प्रसार के लिए।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) महोदय सुलतानपुर को इस अनुरोध के साथ कि जनपद के बेवसाइट पर उपरोक्त सूचना को अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी सुलतानपुर को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशन के लिए प्रेषित।
7. जिला विकास अधिकारी महोदय सुलतानपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।

खण्ड विकास अधिकारी
लम्भुआ सुलतानपुर।